

प्रेषक,

गोपाल मीणा,  
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी, दरभंगा ।

पटना, दिनांक:- 2-3-17

विषय:- मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0102-बंधुआ मजदूर कल्याण कार्यक्रम (विपत्र कोड-पी0 2230017890102) राज्य योजना स्कीम कोड-LAB-5552 के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2257 दिनांक-24.5.16 के आलोक में बंधुआ मजदूर पुनर्वास कार्यक्रम के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष-2016-17 में 31 मार्च, 2017 तक व्यय के निमित्त निम्न प्रकार से निधि का आवंटन किया जाता है।

जिला का नाम	कुल बंधुआ मजदूरों की संख्या	व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ (28-01) से राज्यांश की राशि प्रति बंधुआ मजदूर ₹ 10,000/- (₹ दस हजार) मात्र की दर से श्रम अधी., दरभंगा के पत्रांक-106 दिनांक-4.2.17 के आलोक में विमुक्त 04 बंधुआ मजदूरों के लिए	सामग्री एवं पूर्तियाँ (21 01) इकाई से 30 दिन के राशन हेतु रू. 1500/- एवं भोजन नास्ता, वस्त्र एवं दवा हेतु रू. 500/- प्रति बंधुआ मजदूर की दर से श्रम अधी., दरभंगा के पत्रांक-106 दिनांक-4.2.17 के आलोक में विमुक्त 04 बंधुआ मजदूरों के लिए	कुल आवंटित राशि कॉलम (3+4)
1	2	3	4	5
दरभंगा	4	40000	8000	48000

कुल आवंटित राशि ₹ 48,000 (₹ अड़तालीस हजार) मात्र ।

यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-423/वि० दिनांक-31.3.16, पत्रांक-4572/वि० दिनांक-03.06.2016 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि०(2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है।

4. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।

5. आवंटित राशि का व्यय संबंधित विपत्रों को नियमानुसार जाँच कर एवं यह संतुष्ट होने के उपरांत ही किया जाय, कि संबंधित बंधुआ मजदूरों को पूर्व में राज्यांश की राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

6. यह आवंटित राशि दिनांक-17.05.16 से लागू नयी संशोधित योजना Central Sector Scheme for Rehabilitation of Bonded Labour, 2016 के पूर्व विमुक्त किये गये बंधुआ मजदूरों के लिए है।

7. राज्यांश के राशि के भुगतान करने के उपरांत Direct Beneficiary Transfer (DBT) प्रपत्र में लाभुकों का वर्षवार आकड़ा विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

8. आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना विहित प्रपत्र में आवश्यक टी०भी० नं० तथा तिथि के साथ निकासी के उपरांत अबिलम्ब निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें ।

9. यह आवंटन योजना से संबंधित है ।

विश्वासभाजन,  
22/3/17  
(गोपाल मीणा)  
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-6/एफ1-308/16 श्र0सं0- 159 पटना, दिनांक 2-3-16  
प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

02/03/17  
(गोपाल मीणा)  
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-6/एफ1-308/16 श्र0सं0 159 पटना, दिनांक 2-3-17  
प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना /संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ \*संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप श्रमायुक्त/संबंधित श्रम अधीक्षक/संयुक्त श्रमायुक्त-01 एवं प्रशाखा-01 को उनके गै.सं.प्रे.सं.59(श्रमपक्ष) दिनांक-01.03.2017 के आलोक में/ प्रशाखा-2 सरकार पक्ष/ प्रशाखा-6, बजट शाखा (श्रम पक्ष) एवं व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-6 (श्रम पक्ष) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संधारण संबंधित शाखा (प्रशाखा-1) द्वारा किया जायेगा।

02/03/17  
(गोपाल मीणा)  
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक: 6/एफ1-308/16 श्र0सं0- 159 पटना, दिनांक 2-3-17  
प्रतिलिपि:- आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

02/03/17  
(गोपाल मीणा)  
श्रमायुक्त, बिहार।

\*स्पीड  
पोस्ट